दिल्ली विधान सभा तिवासय तमाचार भाग-2

ृविधायी तथा अन्य मामलाँ ते संबंधित तामान्य जानकारी है इहस्पतिवार, 25 तितम्बर, 1997/आधिवन 3, 1919 है अब है

तंबपा: 346

सदस्यों की नजरखंदी एवं रिष्टाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान तमा को तम्बोधित पुलित उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित तदेश दिनांक 23.9.1997 को प्राप्त हुआ:-

मुझे आपको ततम्मान तूचित करना है कि दिल्ली विधान तमा के माननीय तदस्य श्री राम अब को उनके अन्य तमर्थकों तहित दिल्ली पुलित अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलित धाना तंतद मार्ग, नई दिल्ली के विधितम्मत् निर्देशों की अध्या करने के कारण दिनांक 22.9.97 को अपराहम 12.35 को रिजिस्टार को-ऑपरेटिव सोताईटी तंतद मार्ग नई दिल्ली के कार्यालय के तामने नजरबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थाद्व दिनांक 22 9 97 को अपराह्न 12 50 बजे पुलिस थाना, तंसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।

> पी. रन. गुप्ता तथिव

DEIHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIATE BULLETIN PART-II

(General information relating to Legilative & other matters)
Thursday, September 25, 1997/Ashvina 03, 1919 (Saka)

No.346

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 22.09.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Ram Bhaj, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from P.S. Parliament Street, New Delhi in front of Office of the Registrar Co-operative Societies, Parliament Street, New Delhi at 12.35 P.M. on 22.09.1997.

He was released at 12.50 P.M. from P.S. Parliament Street the same day i.e. on 22.09.1997."